न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021 / 00026

1. जोधराज आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
2. राधेश्याम आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
3. कमला पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।
4. गोकुल बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।
5. मोहन बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश कुमार आत्मज रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 01 के शामलाती खाते में खसरा नम्बर 04 की 0.99 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा वादीगण उक्त आराजी में अपने हिस्से 1/2 पर उत्तर की तरफ वाले हिस्से में काश्त करते चले आ रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं

हुआ है । उक्त भूमि शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज होने के कारण लगान आदि अदा करने में परेशानी आती है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में उत्तरी तरफ का हिस्सा 1/2 पृथक खाते दर्ज किया जाकर पृथक लगान कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.12.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2020 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करते समय वादीगण के कब्जे का ध्यान नहीं रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करते समय राजस्व मण्डल विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक दावा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादी क्रम 01 के खिलाफ पेश किया था । प्रतिवादी के उपस्थित नहीं आने पर उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई । परीक्षण न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री जारी की और बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये दिनांक 30.12.2020 को अंतिम डिक्री जारी की है । कब्जे को तस्दीक किये बिना यह अंतिम डिक्री जारी की है । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा उत्तर दिशा की ओर अपीलान्टगण का कब्जा है और परीक्षण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री में पूर्व दिशा की ओर भूमि दी गई है । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.12.2020 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया । विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के द्वारा हस्ताक्षरित हैं और इसमें

अपीलान्ट क्रम 01 जोधराज के हस्ताक्षर हैं । विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा भी तैयार किये गये हैं जिसमें सहखातेदारों के पृथक–पृथक हिस्सों को पृथक–पृथक स्याही से दर्शाया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 30.12.2020 के अनुसार वकील वादी के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं की गई है, उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है और अंतिम डिक्री जारी की गई है । अब अपीलान्टगण के द्वारा इस अंतिम डिक्री के खिलाफ अपील पेश की है जबकि यदि उन्हें विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति थी तो उन्हें परीक्षण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी । यदि अपीलान्टगण ऐसा महसूस करते हैं उनके अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में दिनांक 30.12.2020 को उपस्थित नहीं हुए हैं और परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से उनके अभिभाषक की उपस्थिति और अनापत्ति दर्ज की है तो इस क्रम में वो परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका में जो अंकित किया जाता है विधिक रूप से उसे ही सही माना जाता है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज होने योग्य है ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/00026

1. जोधराज आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
2. राधेश्याम आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
3. कमला पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।
4. गोकुल बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।
5. मोहन बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रमेश कुमार आत्मज रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 15/दावा/2019

1. जोधराज आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
2. राधेश्याम आत्मज मोडूलाल जाति चमार ।
3. कमला पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।
4. गोकुल बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार ।

5. मोहन बाई पुत्री मोडूलाल जाति चमार निवासीगण ग्राम नालोदिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. रमेश कुमार आत्मज रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.08.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री जितेन्द्र नामा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16.8.21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा